प्रेषक,

महत्वपूर्ण/तत्काल

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

सेवा में,

समस्त,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/हा0स्कूल/इ0परीक्षा–2021/36–148 /2020–21 दिनांक 10–08–2021

विषय : परिषदीय परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया में प्राप्त अंकों से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के विकल्प के सम्बन्ध में निर्देश पत्र।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021 कोविड–19 महामारी के कारण सम्पादित नहीं करवायी जा सकी। वर्ष 2021 में परिषदीय परीक्षा हेतु पंजीकृत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या 445/XXiV-B-5/2021-03(01)/2020 माध्यम्कि शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 03 जुलाई, 2021 द्वारा परीक्षाफल निर्माण हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गयी जिसके आधार पर परिषदीय परीक्षा 2021 का परीक्षाफल निर्गत कर दिया गया है। उक्तवत् शासनादेश के पैरा 8 में निर्देशित किया गया है कि:–

"उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा यदि वे उक्तवत् प्रक्रिया से प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होते है तो उन्हें परीक्षा देने का विकल्प भी प्रदान किया जायेगा।"

उक्तवत् पैरा 8 के अन्तर्गत यदि आपके विद्यालय में आवेदन प्राप्त होते है तो शासनादेशानुसार निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आवेदन अग्रसारित करें।

1. परीक्षा देने हेतु परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रारूप पर परीक्षाफल घोषित होने के एक माह के अन्दर अपने विद्यालय/संस्थाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की वेबसाइट – **www.ubse.uk.gov.in** के **Board Examination** आइकन से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा का विकल्प देने की स्थिति में परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम मानते हुये परीक्षार्थी को अंक प्रदान कर परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंकना परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र सह अंक पत्र में की जायेगी भले ही परीक्षार्थी के अंक पूर्व में परीक्षाफल निर्माण प्रक्रिया में प्रदान किये गये अंकों से कम या अधिक क्यों न हो।

4. परीक्षा देने की स्थिति में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा पूर्व में जारी प्रमाण पत्र सह अंक पत्र को परीक्षार्थी से वापस प्राप्त कर उसे निरस्त करते हुये परीक्षार्थी को नया प्रमाण पत्र सह अंक पत्र जारी किया जायेगा।
5. परीक्षा समस्त विषयों के लिये आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थी को समस्त विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, अर्थात् यदि परीक्षाथी ने हाईस्कूल में 6 विषयों के साथ आवेदन किया है तो उसे समस्त 6 विषयों की परीक्षा में तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थी को 5 विषयों एवं कृषि वर्ग भाग–2 के परीक्षार्थी को 6 विषयों के साथ परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में विनियम के अन्तर्गत आने परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अन्य संस्थागत / व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के एकल विषयों के आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जाये।
7. स्थितियॉ सामान्य होने पर उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर नैनीताल द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी।परीक्षा की तिथियों एवं परीक्षा केन्द्र के विषय में यथासमय विद्यालय के माध्यम से परीक्षार्थी को अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त निर्देशों का भली–भॉति अवलोकन करें तथा अपने स्तर से अपने जनपद के समस्त प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्यो को उक्त निर्देशों की जानकारी देना सुनिश्चित करें। तथा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को यह भी अवगत करायें कि वे परीक्षा का विकल्प देने वाले परीक्षार्थियों से विलम्बतम् 31–08–2021 तक आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुये दिनांक 04–09–2021 तक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। खण्ड शिक्षा अधिकारी दिनांक 08–09–2021 तक आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दिनांक 13–09–2021 तक आवेदन पत्र परिषद् कार्यालय में जमा करें। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में अगसारित न किये जायें।

भवदीय

10/8/2021

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / हा0स्कूल / इ0परीक्षा–2021 / 36–148 / 2020–21 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपिः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, मा0 शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून।
3– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक(मा0), गढवाल / कुमाऊँ मण्डल।
4– समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की अपने सम्बन्धित विद्यालयों से दिनांक 08–09–2021 तक आवेदन प्राप्त कर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
5– समस्त प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)